कार्यालय:नजारत, सिविल जज (जू0डि0) हैदरगढ़, न्यायालय संख्या–24, बाराबंकी।
इश्तहार नीलामी मुनादी सरकारी स्वीपर से करायी जाये

इश्तहार नीलामी ठेका वर्ष–2025–26

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि माननीय प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, बाराबंकी महोदय के आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन में न्यायालय परिसर हैदरगढ़ में निम्नलिखित ठेकों की नीलामी दिनांक 26.05.2025 को न्यायालय कक्ष के सामने बरामदे में अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में अपरान्ह दो बजे से कमवार सम्पन्न होगी:–

1–ठेका दुकान नम्बर 2 (चाय, मीठा, नमकीन) मेन गेट के पास, क्षे0–10X15 फिट।

2–ठेका दुकान नम्बर 1 (फोटोकापी) मेन गेट के पास, क्षे0–10X10 फिट। दुकान चाय, मीठा, नमकीन के बगल में।

3–ठेका साइकिल (वाहन) स्टैण्ड, क्षे0–30X30 फिट।

शर्तें

1–ठेके की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम राशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू दिनांक 24.05.2025 तक नजारत में जमा करनी होगी।

2–नीलामी बोली में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

3–ठेका अवधि स्वीकृति की तिथि से 31.03.2026 तक होगी।

4–तिमाही किश्त अदा करनी होगी, पहली किश्त बोली स्वीकृत होने के उपरान्त, व्यवसाय करने से पूर्व तथा इसी कम में अन्तिम किश्त माह मार्च 2026 के पूर्व अनुपातिक रूप में देय होगी।

5–ठेकेदार को नीलामी राशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद जमा करना होगा।

6–व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्व नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा तभी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेंगे।

7–माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति की बोली/ ठेका बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

8–निर्धारित समय पर वांछित किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी से जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल–अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा, शेष जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9–ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी और समस्त प्रयोग की जाने वाली वस्तुये स्वच्छ रखना होगा।

10–ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिये अस्थायी निर्माण अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थायी निर्माण को ठेकेदार को अपने व्यय पर हटाना होगा।

11–ठेकेदार को ठेका पर नगर प्रशासन द्वारा यदि कोई कर अधिरोपित किया जाता है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायित्व स्वय ठेकेदार पर होगा।

12–ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा जो बाजार की दरों के अनुरूप होगा।

13–ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का ठेके की अवधि में किसी प्रकार का उल्लंघन किया जायेगा तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

14–उपरोक्त दुकानों के ठेके की न्यूनतम राशि निम्नवत् है:–

1–ठेका दुकान नम्बर 2 (चाय, मीठा, नमकीन)	रू.13640.00
2–ठेका दुकान नम्बर 1 (फोटोकापी)	रू.9570.00
3–ठेका साइकिल (वाहन) स्टैंड	रू.22000.00

दिनांक:12.05.2025

U.V.S. 12/05/25

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
सिविल जज (जू0डि0) हैदरगढ़,
कोर्ट न0–24, बाराबंकी।

उप नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त इश्तहार के जन साधारण में प्रचार प्रसार हेतु इसकी प्रतियां न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड एवं तहसील हैदरगढ़ के सार्वजनिक स्थानो पर नियमानुसार सहज दृश्य स्थलों पर चस्पा की जाये।

निविदा प्रारम्भ होने की तिथि–14.05.2025

निविदा समाप्ति की तिथि–24.05.2025

Contact Person:Shri Dinesh Kumar, Deputy Nazir,
Civil Court, Haidergarh, Barabanki.
Mobile No.: 9559089765
Email ID:dcbri@allahabadhighcourt.in

दिनांक 12.05.2025

U.V.S. 12/05/25

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
सिविल जज (जू0डि0) हैदरगढ़,
कोर्ट न0–24, बाराबंकी।